'कर्मचारी संघ जिन्दाबाद'

।। संघे शक्ति कलयुगे ।।

स्थापित-1982

'महासंघ जिन्दाबाद'

बिहार राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ

पटना- 800005 (बिहार)

(अखिल भारतीय विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंध, नई दिल्ली)

पंजीयन-97/82

प्रदेश अध्यक्ष
शंकर यादव
एल.एन.एम.यू. दरभंगा।
मो0- 9430996453 / 8271191632

प्रदेश कार्यालय-अखिलेश नगर, पश्चिमी रोड नं0-2,
थाना-बाइपास, पोस्ट-झाऊगंज, पटना-800006, मो-7543042345
Email-info@bsuef.org
website: www.bsuef.org

प्रदेश महासचिव
राघवेन्द्र कुमार
बी0आर0ए0बी0यू0, मुजफ्फरपुर
मो0-9973358168

❖ उपाध्यक्ष ❖

डॉ0 दीलिप कुमार गुप्ता
पटना विश्वविद्यालय,पटना
मो0- +91-7631696569

डॉ0 सरोज कुमार सिंह
जयप्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा
मो- +91- 9939745814

❖ कोषाध्यक्ष ❖

जनाब मंजर इमाम
वी॰ कुँ॰ सिंह विश्वविद्यालय, आरा
मो॰- +91- 9931062586

❖ संगठन मंत्री ❖

डॉ0 दिनेश कुमार दिनकर
मगध विश्वविद्यालय, बोधगया
मो0- +91-9308596371

सुनील कुमार सिंह
कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय
दरभंगा
मो0- +91-9472698751/7979897929

रंजन कुमार
बी.आर.ए.बी.यू., मुजफ्फरपुर
मो.- +91- 9472003662

डॉ0 राजेश्वर राय
बी.एन. मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा
मो॰- +91-9431413716

डॉ0 रविन्द्र कुमार मिश्र
कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय
दरभंगा । मो0- +91- 8797275807

सुरेश कुमार चौधरी
तिलका मांझी विश्वविद्यालय, भागलपुर
मो॰- +91-9973542172

❖ प्रवक्ता ❖

गौरव
बी.आर.ए.बी.यू., मुजफ्फरपुर
मो॰- +91-9123469271

मो0 नसीम अख्तर
सह प्रवक्ता (पटना क्षेत्र)
मौलाना मजहरूल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय
पटना, मो॰- +91-7250267712

❖ संयुक्त कोषाध्यक्ष ❖

सैय्यद शाहिद नक़वी
मौलाना मजहरूल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय
पटना, मो॰- +91-7488449803

पत्रांक MPS/208/Patna (U)

दिनांक 23/12/2021

सेवा में,

माननीय मुख्यमंत्री,
बिहार सरकार, पटना।

विषयः— राजभवन के आदेश के वित्तीय अनियमितता एवं भ्रष्टाचार के मामले में अभियोजित एवं चार्जसीटेड डॉ० रविप्रकाश बबलू को जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा के कुलसचिव पद से अविलंब हटाने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध मे सादर निवेदित करना है कि राजभवन के पत्रांक बी0एस0यू0 (रजिस्टार) —27/2017/698—जी0एस0(1) दिनांक 19.05.2021 के द्वारा विश्वविद्यालय के एकेडमिक एवं प्रशासनिक हित का हवाला देते हुए डॉ0 रविप्रकाश बबलू एसोसिएट प्रोफेसर, दर्शनशास्त्र विभाग, हरिराम कॉलेज, मैरवा, सिवान को जयप्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा का कुलसचिव नियुक्त किया गया (अनुलग्नक 1) और डॉ0 रविप्रकाश बबलू ने उक्त आदेश के आलोक में 19.05.2021 को ही कुलसचिव के पद पर योगदान भी कर लिया (अनुलग्नक 2)। विदित हो कि डॉ0 रविप्रकाश बबलू जयप्रकाश वि0वि0 छपरा में करोड़ो रु0 की उत्तर पुस्तिका खरीद घोटाले से संबंधित निगरानी थाना कांड सं0— 10/2015 दिनांक 30.01.2015 द्वारा धारा — 409,420,467,468, 477(A), 34,120(B) तथा भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 के धारा 13(1) D तथा 13 (2) तहत निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना द्वारा दर्ज मुकदमें के अभियुक्त हैं। भ्रष्टाचार के इस चर्चित मामले में निगरानी अन्वेषण ब्यरो, पटना के अनुरोधपर तत्कालीन कुलाधिपति महामहिम रामनाथ कोविन्द (वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति) की अनुमति से तत्कालीन प्रधान सचिव श्री ब्रजेश महरोत्रा ने अपने पत्रांक जे0पी0यू0 27/2015—1309 रा0स0(1) दिनांक 10.09.2015 के द्वारा इस कांड के अन्य अभियुक्तों (तत्कालीन कुलपति सहित) के साथ डॉ0 रविप्रकाश बबलू जो उस समय विश्वविद्यालय में समायोजक, महाविद्यालय विकास परिषद के पद पर थे, के विरुद्ध भ्रष्टाचार का आरोप सही पाते हुए अभियोजन की स्वीकृत प्रदान किया (अनुलग्नक 3)।

राजभवन से अभियोजन की स्वीकृत मिलने के उपरांत निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने निगरानी कोर्ट, मुजफ्फरपुर में दिनांक 12.10.2015 को अन्य अभियुक्तों के साथ डा0 रविप्रकाश बबलू के विरुद्ध आरोप पत्र सं0 (चार्जसीट) 64/15 समर्पित किया (अनुलग्नक 4) । वर्तमान समय में डॉ0 बबलू जमानत पर है और मुकदमा जारी है।

विदित हो कि वित्तीय अनियमितता एवं भ्रष्टाचार के उक्त मामले में डॉ0 आर0पी0 बबलू के साथ तत्कालीन कुलपति प्रो0 द्विजेन्द्र गुप्ता भी अभियुक्त थे और निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने राजभवन से उनके विरुद्ध अभियोजनकी स्वीकृति मिलने के उपरांत निगरानी कोर्ट में आरोप पत्र दायर किया (अनुलग्नक 5,6) । निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा आरोप पत्र सर्मिपत करने के उपरांत तत्कालीन राज्यपाल सह कुलाधिपति महामहिम रामनाथ कोविन्द ने राजभवन सचिवालय के पत्रांक जे0पी0यू—21/2014—1628/जी0एस0(1)दिनांक 02.12.2015 द्वारा तत्कालीन कुलपति प्रो0 द्विजेन्द्र गुप्ता को कुलपति पद से बर्खास्त कर दिया (अनुलग्नक 7) । मामले की गंभिरता इस बात से परिलक्षित होती है कि बिहार में उच्च शिक्षा के इतिहास में पहली बार किसी कुलपति को भ्रष्टाचार एवं वित्तीय अनियमितता एवं भ्रष्टाचार के प्रमाणित आरोप में बर्खास्त किया गया। इतना हीं नहीं वित्तीय अनियमितता एवं भ्रष्टाचार के मामले में कुलपति को सहयोग करने वाले शिक्षकों :पदाधिकारियों को बिहार राज्य वि0वि0 अधिनियम:1976 की धारा 69(4) के तहत राजभवन के आदेश पर निलंबित कर स्थानांतरित कर दिया गया। इसी क्रम में डा0 रविप्रकाश बबलू को निलंबित कर आ0बी0जी0आर0 कॉलेज, महराजगंज से हरिराम महाविद्यालय, मैरवा, सिवान स्थानांतरित कर दिया गया और तबसे डा0 बबलू वहीं पदस्थापित हैं (अनुलग्नक 8,9)।

बबलू कई आपराधिक मामलों के आरोपी रहे है। उल्लेखनीय है कि डा0 प्रो0 द्विजेन्द्र गुप्ता के विश्वासपात्र होने की वजह से डा0 बबलू प्रभारी कुलसचिव सहित कई पदों पर आसीन थे और इनकी निरंकुशता इतनी बढ़ गई थी कि वे राजभवन के आदेश को भी नहीं मानते थे। राजभवन के आदेशों को भी नहीं मानते थे। राजभवन के आदेशों की लगातार अवमानना एवं अनुशासनहीनता की वजह से महामहिम ने डा0 रविप्रकाश बबल का

23/12/2021

Scanned with CamScanner

स्थानांतरण दर्शण शास्त्र विभाग, जयप्रकाश वि0वि0 छपरा से पैतृक महाविद्यालय आर0बि0जी0आर0 कॉलेज महराजगंज कर दिया था(अनुलग्नक 10)। इनके क्रिया कलापों से नराज राजभवन ने इन्हें दो बार प्रभारी कुल सचिव सहित तमाम पदों से मुक्त करने का आदेश कुलपति को दिया था(अनुलग्नक 11)।

डा0 रविप्रकाश बबलू ने राजभवन के स्थानांतरण आदेश को पटना उच्च न्यायालय में सीडब्लूजेसी न0 943/2015 के द्वारा चुनौती भी दिया था लेकिन जयप्रकाश वि0वि0 प्रशासन द्वारा इनके आपराधिक इतिहास, भ्रष्टाचार एवं अनुशासनहीनता संबंधी ब्योरा जबाबी हलफनामा के माध्यम से न्यायालय के समक्ष सप्रमाण प्रस्तुत किया तो इन्होंने अपना मुकदमा वापस ले लिया (अनुलग्नक 12)। जो एक प्रकार से प्रमाण है कि डा0 बबलू का इतिहास दागदार रहा है एवं ये भ्रष्टाचार में पूणतः सम्मिलित रहें है।

इस तरह राजभवन की अनुमति एवं निर्देशो पर वित्तीय अनियमितता एवं भ्रष्टाचार के मामले में अभियोजित एवं चार्जसीटेड डा0 रविप्रकाश बबलू को पुनः राजभवन द्वारा कुलसचिव पद पर नियुक्त करने से विश्वविद्यालय के शिक्षक, कर्मचारी छात्र संघ एवं बुद्धिजीवी विस्मित, हतप्रभं एवं मर्माहत है। विश्वविद्यालयों में वित्तीय अनियमितता एवं भ्रष्टाचार के मामलों में राजभवन की नीति एवं रवैया जीरो टालरेंस की रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि राजभवन सचिवालय के अधिकारियों ने महामहिम के समक्ष डा0 रविप्रकाश बबलू से जुड़े भ्रष्टाचार एवं आपराधिक मामलों से संबंधित संचिका को अवलोकन हेतू प्रस्तुत नहीं कर तथ्यों को छिपाया और इस तरह का अवैध एवं अनुचित निर्णय लिया गया। राजभवन के इस निर्णय उच्च शिक्षा कि शुचिता एवं गरिमा को तो चोट पहुंची हीं है और राजभवन की छवि भी धुमिल हुई है। जिससे बिहार सरकार एवं शिक्षा विभाग की भी छवि पर आघात हुआ है।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन है कि वित्तीय अनियमितता एवं भ्रष्टाचार के मामलों में अभियोजित एवं चार्जसीटेड डा0 रविप्रकाश बबलू को कुलसचिव नियुक्त करने संबंधी अधिसूचना को अविलंब वापस कराने की कृपा किया जाए तथा तथ्यों को छुपाने के लिए इनके उपर कठोर कारवाई की जाए।

माननीय मुख्यमंत्री की निष्पक्षता एवं न्यायप्रियता पर हमारा विश्वास एवं भरोसा कायम है तथा बिहार सरकार की निति एवं जिरो टॉलरेंस पर पूर्ण विश्वास है।

सादर।

भवदीय
23/12/2024
प्रदेश महासचिव

प्रतिलिपिः— 1. महामहिम राष्ट्रपति के प्रधान सचिव, राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली।
2. माननीय शिक्षामंत्री, भारत सरकार नई दिल्ली।
3. महामहिम कुलाधिपति सह राज्यपाल राजभवन पटना।
4. माननीय शिक्षामंत्री, बिहार सरकार पटना।
5. माननीय प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग(उ0शि0) बिहार सरकार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु अग्रसारित।

23/12/2024
प्रदेश महासचिव

Scanned with CamScanner